संख्या–वे0आ0–2–2061/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2010

विषयः– वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–2 में राजकीय विभागों के सांख्यकीय कर्मचारी संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के सांख्यकीय संवर्ग के सम्बन्ध में नवम् प्रतिवेदन भाग–2 में दी गयीं निम्न संस्तुतियों को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :––

(1) प्रदेश में अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग में उपलब्ध द्विस्तरीय ढ़ॉचे की व्यवस्था बनाये रखी जाय।

(2) अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पदों पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– को यथावत बनाये रखा जाये। संवर्ग के दूसरे स्तर के पदों पर वर्तमान वेतनमान रु0 5500–9000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड वेतन रू0 4600/– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रुप से स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराया जाय।

(3) प्रदेश के विभिन्न विभागों/प्रभागों में उपलब्ध अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए प्रत्येक विभागीय संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों के 60 प्रतिशत पद प्रथम स्तर पर तथा 40 प्रतिशत पद द्वितीय स्तर पर रखे जायें।

(4) प्रथम स्तर के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से शत–प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था रखी जाय। सीधी भर्ती हेतु गणित/सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/कामर्स में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कम्प्यूटर में "ओ" लेवल का डिप्लोमा की अर्हता

निर्धारित की जाय। संवर्ग के दूसरे स्तर के पद पर शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय।

(5) सभी विभागों/प्रभागों में प्रथम स्तर के पद का पदनाम सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) तथा द्वितीय स्तर के पद का पदनाम अपर सांख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) रखा जाय।

(6) स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपकमों/निगमों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणो के अन्तर्गत विद्यमान अधीनस्थ सांख्यिकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां उक्त संस्थाओं हेतु दी जाने वाली पदवार/संवर्गवार संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2– 2061 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शारानादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

स0यू0पी0–ए0पी0 61 सा0 वित्त–10–9–2010–(1007)–2000 प्रतियां–(कम्प्यु0/टी/आफसेट)।